राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल EPABX : 2428721–24 फेक्स : 0294–2411417
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक– एफ 3(ए)(29)शिक्षा / सीटीएडी / विद्या संबल योजना / 2021–22 / 00270 पार्ट–1 / 36–49 दिनांक :– 01/01/2025

आदेश

विभाग द्वारा संचालित विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों की कोचिंग अनुभवी विशेषज्ञ व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रुप में लेकर विद्या संबल योजना के तहत कराया जाना है। योजना के दिशा–निर्देश एवं संचालन प्रक्रिया की प्रति संलग्न है।

शैक्षणिक सत्र 2024–25 विभागीय छात्रावासों में विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी दिनांक 12.01.2025 से प्रारम्भ की जानी है। इस हेतु प्रति छात्रावास राशि रुपये 75000 / – का बजट प्रावधान है। आवंटित राशि से अधिक का व्यय नही किया जावें साथ ही आवंटित राशि का उपयोग 31.03.2025 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करावें।

कक्षा 9 से 10 हेतु अधिकतम 350 / – रुपये प्रति घण्टा तथा कक्षा 11 से 12 हेतु अधिकतम 400 / – रुपये प्रति घण्टा भुगतान किया जा सकेगा एवं रविवार के अवकाश में कोचिंग मानदेय देय नहीं है। प्रत्येक छात्रावास में कोचिंग का समय सायंकाल 5.30 बजे से 7.30 बजे तक रखा जावे। प्रत्येक छात्रावास की कोचिंग की फोटो प्रतिदिन हॉस्टल के व्हाट्सएप्प ग्रुप पर डाला जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गितेश श्री मालवीय) R.A.S.
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

क्रमांक– एफ 3(ए)(29)शिक्षा / सीटीएडी / विद्या संबल योजना / 2021–22 / 00270 पार्ट–1 / 36–49 दिनांक :– 01/01/2025

प्रतिलिपि – सूचनार्थ।

1. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
2. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बांरा) ।
3. अतिरिक्त निदेशक, आई.टी. प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
4. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर / डूंगरपुर / प्रतापगढ़ / बांसवाड़ा / आबूरोड़ (सिरोही)।
5. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने की कार्यवाही सुनश्चित करे।
6. प्रभारी अधिकारी, माड़ा / सहरिया / खेल, कार्यालय हाजा।
7. आदेश पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.01.01 ...:35:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12746269

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)
1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल EPABX : 2428721-24 फेक्स : 0294-2411417
ई-मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक- एफ 3(ए)(29)शिक्षा/सीटीएडी/विद्या संबल योजना/2021-22/00270 पार्ट-1/36-63 दिनांक :-01/01/2025

विद्या संबल योजना के दिशा-निर्देश एवं संचालन प्रक्रिया

विद्या संबल योजना के तहत विभागीय आश्रम/खेल छात्रावासों मे कठिन विषयों की कोचिंग हेतु गैस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है:-

1. योजनान्तर्गत गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी को कठिन विषय माना जावेगा।
2. योजनान्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी लाभान्वित किये जायेंगे।
3. योजनान्तर्गत प्रस्ताव/आवेदन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आमंत्रित किये जावेंगे।
4. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रुप में लगाया जा सकेंगा।
5. **गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :-** जिला स्तरीय अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग छात्रावासवार (राशि रुपये 75000/- बजट के आधार पर) अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिकों/निजी अभ्यर्थियों को परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी बेस पर ही ली जा सकेगी।
6. गैस्ट फैकल्टी के चयन हेतु गठित समिति निम्नानुसार होगी :-
   - अनुसूचित क्षेत्र में उक्त योजना के संचालन हेतु नॉडल अधिकारी संबंधित जिला के उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग होगें, जिसमें अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा।
   - सहरिया क्षेत्र में उक्त योजना के संचालन हेतु नॉडल अधिकारी संबंधित जिला के अतिरिक्त कलक्टर एवं पदेन परियोजना अधिकारी सहरिया विकास होगें, जिसमें एक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा।
   - अनुसूचित क्षेत्र के पाली, चित्तौडगढ़ जिले व गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समस्त जिलो में नॉडल अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होंगे, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, लेखा कार्मिक व संबंधित छात्रावास का अधीक्षक सदस्य होगा।
7. विभागीय आश्रम/खेल छात्रावासों में गैस्ट फैकल्टी लगाये जाने हेतु कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है, जिसका विस्तृत विवरण एवं आवेदन का लिंक विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के होम पैज पर "Apply For Guest Faculty Under Vidhya Sambal Scheme" उपलब्ध है।
8. आवेदन करने की अन्तिम तिथी 05.01.2025.
9. अभ्यर्थी एक ही छात्रावास के लिए आवेदन कर सकता/सकती है। यदि एक से अधिक छात्रावास में आवेदन किया जाता है तो प्रथम छात्रावास हेतु आवेदन मान्य होगा।
10. वरियता सूची संबंधित जिला स्तरीय कार्यालयों को 08.01.2025 को भेज दी जायेगी व जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित कार्मिको की सूची 10.01.2025 तक जारी करा दिनांक 12.01.2025 तक समस्त छात्रावासों में कोचिंग प्रारम्भ करना सुनिश्चित करावें।
11. वरियता सूची में समान अंक/प्रतिशत होने की स्थिति में [illegible] छात्रावास के नजदीकी निवास करने वाले आवेदक को ही प्राथमिकता दी जावेगी।
12. आवेदन पत्रों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा पात्रता के लिए [illegible] शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक [illegible] के आधार पर

Signature Valid
Digitally signed by Giresh Shree Malaviya
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.01.0[illegible] [illegible]:35:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12746269

संलग्न प्रारुप के अनुसार वरीयता सूची तैयार की जावेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवायें वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

13. यह व्यवस्था पूर्ण रुप से अस्थायी तथा एक शैक्षणिक सत्र (2024–25) के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू होगी तथा भविष्य में इस व्यवस्था के आधार पर नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी न्यायालय में दावा नही किया जा सकेगा।

14- foHkkxh; Nk=kokl ksa xSLV QSdYVh gsrq ekuns; dh njsa fuEukuqlkj jgsxh %&

पदनाम (अध्यापक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय	योग्यता
ग्रेड–II	9–10	350/–	25000	बी.एस.सी.–बी.एड., बीए–बी.एड./बी.टेक.
ग्रेड–I	11–12	400/–	30000	एमएससी, बी.एड., एम.ए., बी.एड. / बी.टेक

15. विभागीय छात्रावासों में कक्षा 9वीं व 10वीं के कठिन विषयों अग्रेजी, गणित व विज्ञान एवं कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी व ऐच्छिक विषयों (भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान/गणित/अंगेजी अनिवार्य) हेतु प्रति छात्रावास अधिकतम 75000/– रुपयें प्रति शैक्षणिक सत्र के लिए देय होगा। जिलाधिकारी उपलब्ध बजट सीमा/आंवटित बजट सीमा तक इसका उपयोग कर सकेंगे।

16. विभागीय छात्रावासों में कोचिंग देने वाले गैस्ट फैकल्टी की उपस्थिति वार्डन द्वारा आगामी माह की 2 तारीख तक संबंधित जिला कार्यालय को भुगतान हेतु भिजवाये जाने की कार्यवाही पूर्ण करावें व संबंधित जिला कार्यालय द्वारा गैस्ट फैकल्टी के मानदेय का भुगतान आगामी माह की 7 तारीख तक कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

17. कोचिंग मानदेय का भुगतान कोचिंग देने वाले गैस्ट फैकल्टी के बैंक खाते में ही जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

18. अनुसूचित क्षेत्र, गैर–अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में संचालित आश्रम व खेल छात्रावासों हेतु गैस्ट फैकल्टी के कोचिंग मानदेय का भुगतान संबंधित छात्रावासों के संचालन के बजट मद के उपमद 41 में से किया जावेगा।

19. गैस्ट फैकल्टी की सेंवायें लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तो का समावेश करते हुए संलग्न प्रारुप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना समुचित किया जावेंगा।

20. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। प्रति दिन व्हाट्सएप्प ग्रुप पर कोचिंग के फोटोग्राफ् डालने पर ही उस दिन का भुगतान देय होगा।

21. प्रक्रिया का विनिर्णय :– इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

Signature valid
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.01.0[illegible]:35:57 IST
Reason: Approved

(गितेश श्री मालवीय) I.A.S
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

RajKaj Ref No.: 12746269

क्रमांक– एफ 3(ए)(29)शिक्षा / सीटीएडी / विद्या संबल योजना / 2021–22 / 00270 पार्ट–1 / 36-63 दिनांक :- 01/01/2025

प्रतिलिपि – सूचनार्थ।

1. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि– निम्न को भेजकर लेख है कि विद्या संबल योजना के तहत छात्रावासों में गैस्ट फैकल्टी हेतु उच्च योग्यताधारी अधिक से अधिक कार्मिको के आवेदन प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ... ।
2. अतिरिक्त कलक्टर एवं पदेन परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बांरा)।
3. उपायुक्त, टीएडी, उदयपुर / डूंगरपुर / प्रतापगढ़ / बांसवाड़ा / आबूरोड़ (सिरोही)।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

1. अतिरिक्त निदेशक, आई.टी. प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने की कार्यवाही सुनश्चित करे।
3. प्रभारी अधिकारी, माड़ा / सहरिया / खेल, कार्यालय हाजा।
4. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

Signature valid

Digitally signed by Giresh Shree Malaviya
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.01.01 1_:35:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 12746269